कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2049/अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 24/X/13

प्रेषक,

लोकपाल, मनेरगा
वैशाली।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषय :– **शिकायतकर्त्ता श्री अंजन ठाकुर, ग्राम राजापाकर उत्तरी, प्रखण्ड– राजापाकर, जिला वैशाली से संबंधित शिकायत पत्र के बिन्दुवार तथ्य एवं निष्कर्ष।**

प्रसंगः– **पत्रांक 1445 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 22.08.13**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शिकायत पत्र के अनुसार जांच प्रवितेदन के तथ्य एवं निष्कर्ष भेजी जा रही है। उक्त जांच से संबंधित संचिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सुरक्षित है।

अनुलग्नकः जांच प्रतिवेदन के तथ्य एवं निष्कर्ष।

विश्वासभाजन

24.10.13

लोकपाल ,मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2049/अभिकरण हाजीपुर दिनांक 24/X/13

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

24.10.13

लोकपाल ,मनरेगा,
वैशाली।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

लोकपाल मनरेगा, जिला–वैशाली

शिकायत संख्या– 18/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष

दिनांक		अभियुक्ति
	यह शिकायत पत्र श्री अंजन ठाकुर एवं अन्य, ग्राम– भाथादासी, ग्राम पंचायत राजापाकर(उत्तरी) प्रखण्ड– राजापाकर,जिला– वैशाली के दिनांक 22.08.13 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्नप्रकार है। ग्राम पंचायत राजापाकर (उत्तरी) की मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण योजनाओं में कहीं पेड़ नहीं लगाया गया है। मिट्टी भराई कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 में फर्जी जॉब कार्ड बनाकर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर लाखों रूपये का गबन कर लिया गया है। शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि मैं महाराष्ट्र के नासिक में रहता हूँ। तथा वही पर कार्य करता हूँ एवं मिट्टी भराई का कार्य नहीं किया जबकि मेरे नाम से 3456/– रूपये जाली हस्ताक्षर कर निकासी किया गया है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी राजापाकर एवं पंचायत रोजगार सेवक से कारण पृच्छा की मांग की गयी। साथ ही शिकायतकर्त्ता से भी अपनी शिकायत के संबंध में अन्य कागजात या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में मिट्टी का कार्य किया गया है। वृक्षारोपण योजना के वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 10 यूनिट पौधा लगाया गया था जिसमें 20प्रतिशत से 25 प्रतिशत ही पौधा पाया गया है। वर्ष 2012–13 में 2 यूनिट में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत पौधे पाये गये है। शेष पर नही के बराबर है। उन्होंने शिकायतकर्त्ता अंजन ठाकुर के संबंध में बताया कि अंजन ठाकुर बाहर रहते है। साथ ही पंचायत रोजगार सेवक से संपर्क होने के बाबजूद भी अभिलेख उपस्थापित नहीं किया गया जिससे जांच नहीं हो सकी। दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता द्वारा अपने शिकायत से संबंधित अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यालय द्वारा पत्र दिये जाने के बाबजूद शिकायतकर्त्ता उपस्थित नहीं हुए और न ही पत्र का उत्तर दे पाये। अन्य शिकायतकर्त्ताओं में श्री अमोद पटेल कार्यालय में कुछ क्षणों के लिए उपस्थित हुए। उनसे शिकायत संबंधी जानकारी मांगी गयी। मगर उन्होनें कोई जबाब नहीं दिया और तुरन्त उठकर चले गये, काफी बुलाने के बाद भी वे वापस नहीं आये। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा कुछ योजनाओं के अभिलेख प्रस्तुत किये गये तथा यह बताया गया कि पूर्व में भी इसी प्रकार का शिकायत पत्र दिया गया था। उस शिकायत पत्र की योजनाओं की स्थलीय जांच निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली द्वारा की गयी थी। उक्त पदाधिकारी ने अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यह जांच प्रतिवेदन छः पृष्ठों का है। यह प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन वर्तमान प्रतिवेदन का हिस्सा होगा। जांच प्रतिवदेन का अवलोकन किया गया। उसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत् योजनाओं का क्रियान्यवन किया गया है। मापी पुस्तिका एवं मस्टर रॉल के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया गया है। मजदूरी का पूर्ण भुगतान खाता के माध्यम से किया गया है। मजदूरी भुगतान के एडवाइस एवं मस्टर रॉल का अवलोकन किया गया। एडवाइस के अनुसार सभी मजदूरों का भुगतान उनके खातों द्वारा किया गया है। उपलब्ध मस्टर रॉल में मजदूरों के हस्ताक्षर/ निशान पाये गये। दिनांक 14.09.2013 को मेरे द्वारा पंचायत की योजनाओं की स्थल जांच भी की गयी। मेरी मुलाकात कार्यक्रम पदाधिकारी, राजापाकर एवं मुखिया राजापाकर (उत्तरी) से हुई। मेरे साथ उक्त पंचायत में कार्यरत दोनों पंचायत तकनीकी सहायक, श्री तपसी प्रसाद सिंह, पंचायत समिति सदस्य, राजापाकर (उत्तरी) तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।	

मेरे द्वारा मिट्टी कार्य से संबंधित योजना संख्या – 41/11–12, 36/11–12, 33/11–12, 30/11–12, 27/11–12, 26/11–12, 20/11–12, 17/11–12 की जांच की गयी। स्थल को देखने से पता चल रहा था कि उक्त स्थल अलग–बगल के सतहों से ऊँचा था। आस–पड़ोस के लोगों से पूछने पर बताया गया कि मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। वृक्षारोपण की भी कुछ योजनाओं की जांच की गयी जिसमें पौध कम पाये गये।

चूँकि जांच कार्य के समय मिट्टी कार्य किया जाना बन्द था। मिट्टी का कार्य कही नहीं हो रहा था। मजदूर यत्र–तत्र गये हुए थे। फिर भी वृक्षारोपण एवं मिट्टी कार्य से संबंधित बारह मजदूरों से पूछताछ की गयी। उनमें से कुछ के मजदूरी के भुगतान किये जा चुके थे। उनके द्वारा योजनाओं में कार्य किये जाने की बात बतायी गयी तथा भुगतान भी प्राप्त होने की स्वीकारोक्ति की गयी। उन्होनें अपने कथन को लिखित रूप में प्रस्तुत किया है।

उसके पश्चात् शिकायतकर्त्ता श्री अंजन ठाकुर के निवास स्थल का भम्रण किया गया। शिकायतकर्त्ता अपने गॉव स्थित निवास स्थल पर नहीं थे। पूछने पर उनकी पत्नी श्रीमती शोभा देवी ने बताया कि वे यहॉ नहीं है। नासिक गये हुए है। शिकायत पत्र के संबंध में पूछने पर उन्होनें बताया कि मेरे पति शिकायत नहीं किये है। उनके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति शिकायत कर दिया है। उनके द्वारा कार्य किये जाने तथा उनकी मजदूरी भुगतान की एडवाइस के संबंध में पूछे जाने पर उन्होने बताया कि मेरे पति ने पूर्व से मनरेगा की योजनाओं में कार्य किया है। जिसका भुगतान उन्हें मिल चुका है। उन्होने उपने उक्त कथन को लिखित रूप में दिया जिसके समर्थन में उनके घर में उपस्थित श्री अंजन ठाकुर के भाभो श्रीमती बेबी देवी ने भी अपना हस्ताक्षर किया तथा अपना पहचान पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध करायी।

दिनांक 27.09.13 को मुखिया, राजापाकर (उत्तरी) द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि पंचायत की जीवित योजनाओं में कुछ पौधे सूख गये थे। जिसे वनपोषकों द्वारा पुनः लगा दिया गया है।

अतएव दिनांक 22.10.13 को मेरे द्वारा वृक्षारोपण योजनाओं की जांच की गयी। सभी योजनाएँ संतोष प्रद थी। योजना स्थल भम्रण के क्रम में मुखिया ने बताया कि सभी योजनाएँ खुली हुई है। सभी योजनाओं पर वनपोषक कार्य कर रहे है। वृक्षारोपण की योजना सं0 01/11–12 में 154 पौधे जीवित पाये गये। शेष अन्य योजनाओं में 02/11–12 में 205, 03/11–12 में 165, 04/11–12 में 176, 05/11–12 में 204, 06/ 11–12 में 160, 09/11–12 में 242 तथा वर्ष 2012–13 की योजनाओं में योजना क्रम सं0– 13 में 162 पौधे जीवित पाये गये। वर्ष 2012–13 में निजि जमीन पर तीन वृक्षारोपण योजनाओं का कार्य किया गया था, जिसमें क्रमशः 190,185 तथा 155 पौधे जीवित पाये गये। वृक्षारोपण योजनाओं में वनपोषक के रूप में मौके पर कार्यरत सोनिया देवी, पति– श्री शंकर राम, शकुन्ती देवी, पति– राम लगन पासवान, निर्मला देवी, पति– रामानन्द राम से बातचीत की गयी। मजदूरी भुगतान एवं कार्यो के संबंध में पूछे जाने पर उन्होनें बताया कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को पौधे जीवित रखने की हिदायत दी गयी।

कुछ योजनाओं में पौधे की संख्या कम थी। पंचायत रोजगार सेवक को निदेश दिया जाता है कि उचित ऊँचाई एवं उचित किस्म के पौधे 15 दिनों के अन्दर लगवा दें। इसका अनुपालन पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। अनुपालन प्रतिवेदन तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षर

22.10.13

लोकपाल,मनरेगा

वैशाली।